

02, 10, 14 अप्रैल को बंद रहेगा पशुवध कार्य

कोरबा 01 अप्रैल 2022 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत 02 अप्रैल गुडीपाडवा व चैतीचांद, 10 अप्रैल को रामनवमी तथा 14 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर पशुवध का कार्य एवं मांस विक्रय की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पशुवधगृहों के संचालकों व पशुवधकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा गया है कि वे उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का पशुवध कार्य न करें, मांस का विक्रय न करें तथा मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखें, यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो मांस जप्त करने के साथ ही संबंधित के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।